पी0सी0एफ0 एक दृष्टि में

यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) की स्थापना **11 जून, 1943** को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं उनको सहकारिता के आधार पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जन साधारण के हितार्थ शासन की नीतियों के क्रियान्वयन में पी0सी0एफ0 द्वारा सदैव अग्रणी भूमिका निभाई गयी है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कृषकों को उर्वरक, बीज तथा अन्य कृषि निवशों की आपूर्ति के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय एवं मण्डल में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गयी। वर्ष **1943** में केवल एक कार्यालय, **30** व्यक्तियों के कार्यदल एवं रू0 **13,600** की प्रारम्भिक पूँजी से नीम की खली की खाद से व्यवसाय का कार्य प्रारम्भ करते हुए वर्तमान में संघ के पास **2289** अधिकारी /कर्मचारी, एवं रू0 **75.03** करोड़ की अशपूँजी है तथा **पी0सी0एफ0 का वार्षिक व्यवसाय वर्ष 2014–15 में रू0 5456.53 करोड़, वर्ष 2015–16 में वार्षिक व्यवसाय रू0 5221.85 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में वार्षिक व्यवसाय लक्ष्य रू0 8555.71 करोड़ के सापेक्ष माह जुलाई–2016 तक रू0 1093.95 करोड़ (अनन्तिम) तक पहुँच चुका है।**

प्रमुख कार्य

1– कृषि निवेशों यथा– उर्वरक, बीज आदि का सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करना।

2– कृषि उपज का विपणन।

3– सम्पूर्ण प्रदेश में पीडीएस चीनी की आपूर्ति

4– कोयला आपूर्ति एवं ई-आक्सन के माध्यम से बिक्री

5– मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खाद्यान्न खरीद।

6– कृषक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उर्वरक, बीज आदि कृषि निवेशों की बिक्री करना

7– खाद्यान्न एवं उर्वरक का भण्डारण कार्य

8– सदस्य संस्थाओं को परामर्श एवं सहयोग।

9– आयात–निर्यात (खाद्य/ अखाद्य पदार्थ)

10– प्रिन्टिग प्रेस

प्रबन्ध

फेडरेशन के सर्वोच्च अधिकार सामान्य निकाय में निहित हैं, जिसका गठन सदस्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। सामान्य निकाय द्वारा प्रबन्ध कमेटी के 14 सदस्यों का चुनाव किया जाता है एवं दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। प्रबन्ध कमेटी के अवैतनिक सदस्य सभापति एवं उप–सभापति का चुनाव करते हैं। प्रबन्ध निदेशक समिति का पदेन सदस्य होता है।

फेडरेशन के विभिन्न कार्यालय एवं शाखायें

क्षेत्रीय कार्यालय	:	**18**
जनपद कार्यालय	:	**75**
विपणन शाखायें– प्रदेश के बाहर स्थित शाखायें	:	**04**(मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली एवं धनबाद)
कृषक सेवा केन्द्र	:	**528**
प्रिटिंग प्रेस	:	**01** (लखनऊ)

पी0सी0एफ0 मुख्यतः अधोलिखित क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान कर रही हैं :–

प्रदेश की शीर्षस्थ सहकारी संस्था पी0सी0एफ0 ने अपने स्थापना वर्ष 1943 से प्रदेश में सहकारी आंदोलन को गतिशील बनाने, लघु एवं सामान्य कृषकों को कृषि विकास हेतु कृषि निवेशों के वितरण, शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने, भण्डारण करने, आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराने, जीवनोपयोगी वस्तुओं एवं वितरण और सदस्य सहकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उनके व्यावसायिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के विगत दो वर्षों में पी0सी0एफ0 द्वारा किए गए व्यवसायों की उपलब्धि अधोलिखित है :–

(धनराशि– करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	व्यावसायिक उपलब्धि
2014–2015	**6543.23**	**5456.53**
2015–2016	**9527.63**	**5221.85**
2016–2017	**8555.71**	**1093.95 (जुलाई–2016 तक)**

उर्वरक :–

वर्तमान उर्वरक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उर्वरकों के भण्डारण, विक्रय केन्द्रों तक उर्वरकों का परिवहन, समितियों से गुड फार पेमेन्ट के चेकों का कलेक्शन एवं उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को धन प्रेषण के कार्य पी0सी0एफ0 द्वारा किये जाते हैं।

- प्रदेश में उर्वरक क्रय एवं वितरण का कार्य पी0सी0एफ0 द्वारा किया जा रहा है। सामान्य योजना के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 द्वारा प्रदायकर्ता खाते की उर्वरकों का परिवहन एवं भण्डारण का कार्य किया जाता है।

- प्रदेश के जनपदों में उर्वरकों की कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत फास्फेटिक एवं 40 प्रतिशत यूरिया उर्वरकों की आपूर्ति सहकारिता द्वारा की जा रही है। पीसीएफ द्वारा वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में फास्फेटिक व यूरिया उर्वरकों की उपलब्धता जिसके तहत 23.92 लाख मै0टन फास्फेटिक तथा 12.15 लाख मै0टन यूरिया की उपलब्ध करायी गयी। विगत वर्षो में सहकारी समितियों एवं पी0सी0एफ0 कृषक सेवा केन्द्रों से अधोलिखित विवरणानुसार उर्वरकों का प्रेषण किया गया है :–

(i) हैण्डलिंग :– **(मात्रा–लाख मै0टन, धनराशि–करोड़ रूपये में)**

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	50.78	203.12	35.97	143.88
2015–2016	40.76	163.04	**35.03**	**140.12**
2016–2017	51.50	345.75	**6.81**	**27.24 (जुलाई–2016 तक)**

(ii) व्यवसाय (प्रीपोजशनिंग योजनान्तर्गत) :– **(मात्रा–लाख मै0टन, धनराशि–करोड़ रूपये में)**

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	11.00	1427.00	17.25	2374.29
2015–2016	23.00	2755.50	8.95	1256.60
2016–2017	11.00	1572.60	**0.62**	**41.51** (जुलाई–2016 तक)

बीजः–

पी0सी0एफ0 द्वारा सहकारी समितियों को उनकी मॉग के अनुसार पी0सी0एफ0 के पंजीकृत बीज प्रदायकर्ताओं, कृभको एवं इफ्को आदि से प्रमाणित उन्नतिशील बीजों की आपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान को प्रदान करते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को की जाती है। विगत वर्षों में बीज वितरण की स्थिति अधोलिखित हैं :–

(मात्रा– कु0 में धनराशि–करोड़ रु0 में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		वितरण	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	616000	185.64	603000	217.95
2015–2016	606000	245.35	205000	61.90
2016–2017	416000	124.88	684	**0.21** (जुलाई–2016 तक)

कृषक सेवा केन्द्रः–

संघ द्वारा अपने गोदामों/शीतगृहों एवं प्रदेश में प्रमुख स्थलों पर 560 कृषक सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनके माध्यम से कृषकों को उर्वरक बीज, रसायन, यन्त्र आदि कृषि निवेशों का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 528 कृषक सेवा केन्द्रों की व्यावसायिक गतिविधियों को जीपीआरएस बेस्ड हैण्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

गत वर्षों में लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति अधोलिखित हैः–

(धनराशि– करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
2014–2015	631.00	393.92
2015–2016	757.00	**337.90**
2016–2017	757.00	**34.14** (जुलाई–2016 तक)

मूल्य समर्थन योजना

भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर जिला अधिकारी द्वारा चयनित सहकारी समितियों एवं पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्रों को क्रय केन्द्र के रूप में क्रियाशील कर सीधे कृषकों से गेहूँ एवं धान की खरीद कर भारतीय खाद्य निगम/खाद्य विभाग को गेहूँ एवं चावल की आपूर्ति की जाती है। गत वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि अधोलिखित है :–

गेहूँखरीदः– **(मात्रा– मै0टन में, धनराशि– करोड़ रुपये में)**

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	15,00,000	2100.00	2,76,789.538	387.50
2015–2016	17,25,000	2521.21	**7,79,735.000**	**1130.62**
2016–2017	17,25,000	2630.62	**3,51,079.000**	**535.39** (जुलाई–2016 तक)

धान खरीद :– **(मात्रा– मै0 टन में, धनराशि– करोड़ रुपये में)**

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	9,00,000	1224.00	3,11,883.000	421.58
2015–2016	9.00,000	1224.00	5,82,723.00	821.64
2016–2017	9.00,000	1269.00	0.00	0.00

उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

लेवीचीनी/चीनी :–

पी0सी0एफ0 द्वारा वर्ष **1981** से विभिन्न चीनी मिलों से लेवीचीनी का उठान शर्करा निदेशालय, भारत सरकार के रिलीज आर्डर के अनुसार सुनिश्चित कर इसे शासन द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी मिलों से सीधे खाद्य विभाग के ब्लाक स्तरीय गोदामों में भण्डारित किया जाता है, जहॉ से खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्गत की जाती है। भारत सरकार द्वारा माह जून, 2013 से चीनी मिलों के वर्ष 2012–13 उत्पादन पर लेवी देयता समाप्त कर दिये जाने के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 534/ 29–7–13–चीनी–02/2013 दिनांकः 05 जून, 2013 में नई परिवर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सहकारी चीनी मिलों से चीनी उठान कर खाद्य विभाग/आवश्यक वस्तु निगम के ब्लाक स्तरीय पीडीएस गोदामों तक पहुँचाने का कार्य पी0सी0एफ0 द्वारा किया जा रहा है। वर्षवार विवरण की स्थिति अधोलिखित है :–

(मात्रा–मै0टन में, धनराशि–करोड़ रु0 में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		प्रेषण	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	4,11,310	1290.00	4,07,121	1333.23
2015–2016	4,11,216	1290.00	**4,06,833**	**1322.05**
2016–2017	4,11,216	1314.00	**1,36,578**	**443.82** **(जुलाई–2016 तक)**

कोयला का वितरणः–

कोल इण्डिया लि0 की समस्त इकाइयों द्वारा **ई–आक्सन** के माध्यम से **नॉन कोर सेक्टर** को **कोयला** उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवसाय के लिये धनबाद एवं कोलकाता में पी0सी0एफ0 के कार्यालय स्थापित हैं। विभिन्न वर्षों में वितरण की स्थिति अधोलिखित है :–

(मात्रा–मै0टन में, धनराशि– करोड़ रु0 में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		वितरण	
	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
2014–2015	50,000	25.00	3,41,276	158.60
2015–2016	10,00,000	400.00	**1,98,867**	**123.83**
2016–2017	10,00,000	500.00	**12,280**	**4.24 (जुलाई–2016 तक)**

संस्थान :– प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ :–

वर्ष 1958 में स्थापित इस इकाई में सहकारी समितियों, शीर्षस्थ संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों आदि की स्टेशनरी मुद्रित की जाती है। गत वर्षों में किये गये व्यवसाय का विवरण अधोलिखित है :–

(धनराशि– करोड़ रु0 में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
2014–2015	10.90	2.01
2015–2016	10.90	**1.76**
2016–2017	10.90	**0.74 (जुलाई–2016 तक)**

शीतगृह

पी0सी0एफ0 द्वारा 13 शीतगृह उत्तर प्रदेश में और एक शीतगृह महाराष्ट्र में स्थापित है। वर्तमान में वाशी (मुम्बई)) स्थित शीतगृह को 03 वर्ष के लिए लीव एण्ड लाइसेन्स पर तथा चौबेपुर (कानपुर–नगर) स्थित शीतगृह को 10 वर्ष के लिये लीज पर दिया गया है। अन्य इकाइयॉ रूग्ण मशीनरी एवं संचालन में आर्थिकता न होने के कारण 15 वर्षों से बन्द हैं। विगत वर्षो की स्थिति अधोलिखित है :–

(धनराशि– करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
2014–2015	0.43	0.42
2015–2016	0.46	**0.43**
2016–2017	0.46	**0.16 (जुलाई–2016 तक)**

वेयरहाउसिंग

उपलब्ध भण्डारण क्षमता एवं उपयोग की स्थिति

(क्षमता– मै0टन में)

वर्ष	कुल क्षमता	औसत क्षमता उपयोग	प्रतिशत क्षमता उपयोग
2014–2015	**12,23,978**	5,55,512	62.00
2015–2016	**14,27,624**	10,93,618	**77.00**
2016–2017	**15,19,200**	13,05,312	**86.00 (जुलाई–2016 तक)**

भण्डारण शुल्क से आय

विभिन्न वर्षों में किराये हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति अधोलिखित हैः–

(धनराशि– करोड़ रु0 में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2014–2015	26.25	23.15
2015–2016	28.88	**25.00**
2016–2017	30.50	**6.50 (जुलाई–2016 तक)**

कॉल सेन्टर

उ0प्र0 सरकार के ई–गर्वनेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान भाईयों की समस्याओं के सीधे समाधान के लिए पीसीएफ में कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नम्बर **18001805551** पर शिकायत कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यह सुविधा जनसाधारण के लिए पीसीएफ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

भविष्य की योजनायें

- **प्रदेश के सभी जनपदों मे स्थित पीसीएफ की रिक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना।**
- **प्रदेश में उन्नतिशील प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराने हेतु इफ्को/कृभको की सहायता से बीज संयत्र स्थापित किया जाना।**
- **भारत सरकार की न्युट्रिएन्ट बेस्ड सब्सिडी की स्वीकृति के अन्तर्गत पीसीएफ द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों का आयात किया जाना।**

दूरभाष नॅ0 0522–2635200, 2635434, 2635401

ईमेलः hq@uppcf.org, वेबसाइटः www.uppcf.org